भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.**5265**

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
गोमांस का निर्यात

5265. **कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) वर्ष 2014-15 से अब तक भारत से विदेशों को किए गए गोमांस के निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत से कितने टन गोमांस का निर्यात किया गया, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विशिष्ट रूप से महाराष्ट्र में गोमांस निर्यातक कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त निर्यातक किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं या उनके स्वामित्व में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मुंबई/महाराष्ट्र में थोक में गोमांस का वितरण करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त कंपनियां किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से जुड़ी हुई हैं अथवा उनके स्वामित्व में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल, बछड़े का मांस) का निर्यात निषिद्ध है और भारत से इसका निर्यात करने की अनुमति नहीं है।
